

पत्रांक: न-9/सीएफओ(शैक्षणिक भ0मा0)-D-PE-59-2024
सेवा में,

दिनांक: मार्च 13, 2024

अधीक्षण अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
जनपद-देहरादून।

विषय आपके पत्र संख्या-CC/0109/23-24 एवं मानचित्र संख्या-MAP/P/C/0275/23-24 दिनांक 20.02.2024 के अन्तर्गत COMPOUNDING, PROPOSED AND RECONSTRUCTION PLANS FOR GRACE ACADEMY AT 21-C NEW CANTT ROAD IN KH.NO-453-M, 452-M, 449, 450, 453, 454, 455, 456-M, 456 MIN, MAUZA-HATHI BARKALA, PARGANA-KENDRIYA DOON, जनपद देहरादून में कुल प्लॉट क्षेत्रफल 7783 वर्गमीटर में शैक्षणिक भवन (Grace Academy) के मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति/आपत्ति के प्रेषण बावत।

महोदय,


कृपया आप अपने पत्र संख्या- CC/0109/23-24 एवं मानचित्र संख्या-MAP/P/C/0275/23-24 दिनांक 20.02.2024 एवं आवेदक द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 68826307 दिनांक 28.02.202 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो कि COMPOUNDING, PROPOSED AND RECONSTRUCTION PLANS FOR GRACE ACADEMY AT 21-C NEW CANTT ROAD IN KH.NO-453-M, 452-M, 449, 450, 453, 454, 455, 456-M, 456 MIN, MAUZA-HATHI BARKALA, PARGANA-KENDRIYA DOON, जनपद देहरादून में कुल प्लॉट क्षेत्रफल 7783 वर्गमीटर में शैक्षणिक भवन (Grace Academy) के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र संलग्न करते हुए आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा निरीक्षण कराया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक मार्च 07, 2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थल में शैक्षणिक भवन ब्लॉक-01 (लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, भूतल एवं अग्रेत्तर तीन तल में), ब्लॉक-02 (बेसमेन्ट, रिट्ल्ट एवं अग्रेत्तर चार तल), ब्लॉक-03 (भूतल, मैजनाईन फ्लोर, प्रथम एवं द्वितीय तल), ब्लॉक-04 (लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, भूतल एवं अग्रेत्तर तीन तल), ब्लॉक-05 (लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल), ब्लॉक-06 (बेसमेन्ट, भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल), ब्लॉक-07 (रिट्ल्ट एवं प्रथम तल) एवं ब्लॉक-08 (भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल) में प्रस्तावित है। जिसका कुल प्लॉट एरिया-7783 वर्गमीटर है व कवर्ड एरिया-8454.33 वर्गमीटर है। जिस तक पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध है। जिस पर अग्निशमन विभाग के भारी वाहन आसानी से आवागमन कर सकते हैं। प्रश्नगत स्थल अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित पाया गया। प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। आवेदक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत स्थल पर शैक्षणिक भवन के निर्माण के समय/निर्माणोपरान्त निम्नांकित अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

1. भवन निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 (सशोधित-2016) पार्ट-3 एवं पार्ट-4 में निहित मानको तथा उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि (यथा संशोधित) में निहित मानको के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. मानको के अनुसार सैट बैक अग्र भाग-09 मीटर, पृष्ठ-06 मीटर, पार्श्व (1)-4.50 मीटर, पार्श्व (2)-4.50 मीटर आन्तरिक जीने की न्यूनतम चौड़ाई-1.50 मीटर, कॉरिडोर की न्यूनतम चौड़ाई-02 मीटर तथा बेसमेन्ट हेतु रैम्प की न्यूनतम चौड़ाई वन-वे के लिए 4.5 मीटर व टू-वे की स्थिति में 7.2 मीटर एवं रैम्प की ढाल 1:10 छोड़ा जाना आवश्यक होगा।
3. प्रस्तावित स्थल पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2016 पार्ट-4 फायर एण्ड सेफ्टी के पृष्ठ संख्या-32 के Table 5 Travel Distance (Based on Occupancy and Construction Type) Clauses 4.4.2.1 and 4.4.2.2 में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
4. प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट-4 पृष्ठ संख्या-29 के 4.10 Pressurization of Staircases (Protected Escape Routes) में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट-3 के पृष्ठ संख्या-66 के C-1.6, (बेसमेन्ट) में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक होगा। बेसमेन्ट से धुँए के निकास हेतु स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एवं फ्रेश एयर इण्डक्शन यूनिट का प्राविधान किया जाना आवश्यक हो।
6. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम दो जीने का प्राविधान किया जाए, जो कि एक-दूसरे के विपरीत दिशा में हो। जिसमें से एक जीना भवन के बाहरी दिवार पर बना हो, जो कि खुले स्थान पर खुलते हो। ट्रेवल्स डिस्टेन्स एवं कवर्ड एरिया के हिसाब से एक अतिरिक्त जीने का प्राविधान किया जाए।
7. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टैरिस में 25 हजार लीटर क्षमता के टैरिस टैंक व 900 ली. प्रति मिनट क्षमता का टैरिस पम्प का प्राविधान किया जाए। यदि भवन के टैरिस में टैरिस टैंक बनाया जाना सम्भव ना हो तो भवन में 50 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक तथा 02 अद्द फायर पम्प 900 ली. प्रति मिनट क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित भवन के निश्चित दूरी पर मानकानुसार होजरील तथा डाउनकमर का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

9. प्रस्तावित भवन के निश्चित दूरी पर पी0 ए0 सिस्टम तथा मैनुवली आपरेटर इलैक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
10. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में निश्चित दूरी पर मानकानुसार ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक हो। भवन में यदि फाल्स सिलिंग का प्रयोग किया जाता है तो मानकानुसार अप एवं डाउन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये जाए।
11. प्रस्तावित भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
12. इलैक्ट्रिक पैनल की सुरक्षा हेतु उपर्युक्त क्षमता के सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाए।
13. प्रस्तावित भवन के लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
14. सुझाये गये समस्त उपकरण/यंत्र भारतीय मानक (आईएस0 2190:1992) एवं अन्य अग्निशमन व्यवस्था आईएस0 द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं/शर्तों एवं उपनिदेशक (तकनीकी) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड देहरादून महोदय के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 12.03.2024 तथा अग्निशमन अधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित प्रस्तावित शैक्षणिक भवन (Grace Academy) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल का मानचित्र अनुमोदन किया जाता है Pre-Establishment की संस्तुति की जाती है। आख्या संस्तुति सहित साँदर सेवा में प्रेषित है।


(वी0 बी0 वादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

